

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 636
दिनांक 06.02.2024/ 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

अवैध वेबसाइट

†636. श्री संजय भाटिया:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री रवि किशन:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री राम कृपाल यादव:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने निवेश और अन्य प्रकार के घोटालों को बढ़ावा देने वाली अवैध वेबसाइटों के खतरे को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार विशेष रूप से ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई विधान लाने की योजना बना रही है या किसी कानून के अंतर्गत अपराधियों को दंडित करने के लिए पहले से ही कोई प्रावधान है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान 1930 साइबर क्राइम पोर्टल पर राज्य-वार कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं; और
- (च) कितनी शिकायतों का समाधान किया गया और धोखाधड़ी से कितने खातों की कितनी राशि बचाई गई?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के

विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को उनके प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन में सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।
- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यवाहियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑनबोर्ड करके साइबर अपराध संकेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखपट्टनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। वर्ष 2023 में जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।
- iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच में राज्यों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्य एलईए को लगभग 9000 साइबर फॉरेंसिक जैसे कि मोबाइल फॉरेंसिक, मेमोरी फॉरेंसिक, सीडीआर (कॉल डेटा रिकॉर्ड) विश्लेषण आदि में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।
- iv. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने के लिए आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (<https://cybercrime.gov.in>) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

- v. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के बाद से अब तक 4.7 लाख से अधिक शिकायतों में 1200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है। पिछले वर्ष (1.1.2023 से 31.12.2023) की अवधि के दौरान नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दी गई है।
- vi. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेशन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 76,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 53,000 से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
- vii. अब तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 3.2 लाख से अधिक सिम कार्ड और 49,000 आईएमईआईएस को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।
- viii. आई4सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 6,000 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- ix. आई4सी ने 23000 से अधिक एनसीसी कैडेटों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- x. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और साथ ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' नामक स्कीम के तहत 122.24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। अब तक, 24,600 से अधिक विधि प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) के कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

- xi. राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) की स्थापना हैदराबाद में की गई है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के मामलों, साक्ष्य के संरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका विश्लेषण करने में सहायता मिलती है और इससे टर्नअराउंड समय भी कम हुआ है।
- xii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@Cyberdost), फेसबुक (CyberDosti4C), इंस्टाग्राम (cyberdosti4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, मार्गव को कई माध्यमों से प्रचार हेतु उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना आदि शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी प्रचार द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए अनुरोध किया गया है।

विधि प्रवर्तन एजेंसियां साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 तथा अन्य वर्तमान कानूनों के प्रावधानों का उपयोग करती हैं।

अनुलग्नक

पिछले वर्ष (1.1.2023 से 31.12.2023) की अवधि के दौरान नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल दर्ज शिकायतों की संख्या	होल्ड पर रखे शिकायतों की संख्या	लीन राशि (रुपये लाख में)
1	अंडमान और निकोबार	526	161	26.46
2	आंध्र प्रदेश	33505	9580	4664.14
3	अरुणाचल प्रदेश	470	127	34.39
4	असम	7621	2163	451.61
5	बिहार	42029	11533	2779.41
6	चंडीगढ़	3601	1058	296.67
7	छत्तीसगढ़	18147	5056	898.41
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	412	105	40.88
9	दिल्ली	58745	13674	3425.03
10	गोवा	1788	450	153.22
11	गुजरात	121701	49220	15690.9
12	हरियाणा	76736	21178	4653.4
13	हिमाचल प्रदेश	5268	1502	370.78
14	जम्मू और कश्मीर	1046	253	62.55
15	झारखंड	10039	2822	556.38
16	कर्नाटक	64301	18989	7315.52
17	केरल	23757	8559	3647.83
18	लद्दाख	162	41	10.03
19	लक्षद्वीप	29	6	0.51
20	मध्य प्रदेश	37435	9336	1462.33
21	महाराष्ट्र	125153	32050	10308.47
22	मणिपुर	339	108	66.94
23	मेघालय	654	252	46.71
24	मिजोरम	239	75	35.44
25	नागालैंड	224	73	18.09
26	ओडिशा	16869	5187	1049.34
27	पुडुचेरी	1953	568	143.38
28	पंजाब	19252	4923	1332.66
29	राजस्थान	77769	20899	3934.82
30	सिक्किम	292	65	18.01
31	तमिलनाडु	59547	17941	6980.72
32	तेलंगाना	71425	26148	13137.94
33	त्रिपुरा	1913	488	84.82
34	उत्तराखंड	17958	4813	708.94
35	उत्तर प्रदेश	197546	44089	5906.86
36	पश्चिम बंगाल	29804	6307	1845.97
	कुल	11,28,255	3,19,799	921,59.56